संख्या–सा–3–1320/दस–2010

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 10 अगस्त, 2010

विषय :– दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण दिनाँक 01–01–2006 से निम्नानुसार किया जाये :–

(1)– अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।
(2)– महँगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य है।
(3)– मूल पेंशन तथा महँगाई पेंशन के योग पर मूल्य सूचकांक 536 पर आधारित दिनाँक 01–01–2006 को महँगाई राहत 24 प्रतिशत।
(4)– मूल पेंशन का 40 प्रतिशत के फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि।

जिन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महँगाई पेंशन सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महँगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि दिनाँक 01–01–2006 से, सदृश वेतनबैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी, तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि रू0 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2– इस प्रकार आगणित राशि दिनाँक 01–01–2006 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

—2/–

संख्या–सा–3–1320(1)/दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 38 सा0वित्त–18.08.2010–(842)–3000 प्रतियां (क0/आ0)।